पारम्परिक खेती, बीज जमीन अधिकार और महिला

मुद्दा

1ण्मैं एक पहाड़ी महिला हूँ और खेती ही मेरी मुख्य आजीविका है। मेरे गाँव की अन्य महिलाओं एवं पुरूषों की आजीविका का मुख्य साधन खेती है। हम सभी पारम्परिक खेती करते हैं।

2ण्खेती से जुड़ा अधिकतर काम मैं और मेरी बेटी करती हैं, केवल जुताई को छोड़कर। पहाड़ की खेती महिला एवं बेटियों के कंधे पर ही टिकी है। जंगल, पानी और जानवरों से जुड़े अधिकतर काम भी अन्य महिलाओं की तरह मैं ही करती हूँ। हम सभी महिलाओं पर अत्यधिक कार्य बोझ है।

3ण्पूरे वर्ष हर मौसम और हर महीनों हम खेती, जंगल, जानवर से जुड़े हैं। लेकिन फिर भी मुझे किसान नहीं माना जाता है।

4ण्फसल बीमा योजना में मैंने कभी आवेदन नहीं किया है लेकिन अन्य महिलाओं के माध्यम से मुझे पता है कि खाता खतौनी जिसके नाम पर होती है वे ही आवेदन कर सकता है। इसलिए महिलाऐं किसान होते हुए भी यह महिलाऐं नहीं कर सकती हैं। क्योंकि जमीन रिकार्ड में महिलाओं का नाम नहीं है। इसी तरह से अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा अधिकतर पुरूष किसान को ही मिलता है,

5ण्सरकार द्वारा नई जानकारी प्रशिक्षण हमें आसानी से नहीं मिलते क्योंकि कृषि कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकतर पुरूषों को ही बुलाया जाता है। मैं एक बार पंतनगर गयी थी लेकिन वहाँ पर 95% पुरूष ही थे और पुरूषों को ही बोलने का मौका मिलता है।

6ण्मेरा नाम जमीन रिकार्ड में अब दर्ज हो रहा है। प्रक्रिया चल रही है लेकिन मेरा नाम दर्ज पति की मृत्यु के बाद ही हो रहा है। जब वे जिंदा थे तब भी मैं ही खेती करती थी लेकिन फिर भी मेरे नाम पर जमीन नहीं थी।

7ण्हम महिलाओं को आज भी जमीन अधिकार के बारे में बहुत कम जानकारी है। विधवाओं के नाम पर जमीन हो सकती है यह भी बहुत कम लोगों को पता है। परिवार के सदस्यों को इस बारे में पता नहीं है। ऐसे में जमीन उनके नाम पर अगर होती भी है तो वे उसका फायदा नहीं उठा पाती हैं। परिवार के सदस्यों से भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है।

8ण्मैं पारम्परिक खेती ही करती हूँ। गाँव की अन्य महिलाऐं भी पारम्परिक खेती ही करना पसंद करती हैं क्योंकि हमें इसकी जानकारी है। पारम्परिक अनाज, दालें आदि पौष्टिक है। इससे जानवरों के लिए घ ाास भी मिल जाती है। इससे जमीन स्वस्थ रहती है। पानी की जरूरत भी कम होती है। मौसम परिवर्तन भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे में पारम्परिक खेती ही मानव को जिंदा रख सकती है, रासायनिक खेती नहीं।

9ण्लेकिन पारम्परिक बीज खत्म होते जा रहे हैं। कई कारणों से (खेती नष्ट हो रही है, तेज/असमय बारिश से/सूखे से), यह बीज आसानी से मिलते नहीं हैं।

- मैं ब्लॉक गयी थी बीज लेने, लेकिन उनके पास पारम्परिक बीज नहीं थे। ब्लॉक के बीज हम उपयोग में नहीं लाते क्योकि वे मँहगे होते हैं उनकी जानकारी हमें नहीं होती। केवल दो–तीन प्रकार के होते हैं, ज्यादा प्रकार के नहीं होते और उनमें से अधिकतर को उगाने के लिए पानी और रासायनिक खाद, कीटनाशक का उपयोग करना पड़ता है। रासायनिक खेती को हम जहरीली खेती कहते हैं।
- सरकार के पास हमारे पारम्परिक बीज हैं (ऐसा हमें कार्यशाला में बताया गया था) लेकिन उनको लेने के लिए काफी लिखा पढ़ी करनी होती है और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। फिर उसे लेने भवाली या पंतनगर जाना होगा जो कि मेरे लिए काफी दूर है।

10. मैं गोबर की खाद ही उपयोग करती हूँ। पहले चौड़ी पत्ती के पेड़ आसानी से मिल जाते थे। जंगल अच्छे थे और इसलिए खाद भी अच्छी और आसानी से बनती थी। लेकिन अब ज्यादा अच्छी नहीं बन पाती पिरूल की वजह से और कुरमुला भी होता है। काफी समय और मेहनत होती है, ब्लॉक से जैविक खाद नहीं मिलती। सरकार उस पर कोई सब्सिडी भी नहीं देती है।

11. जैविक कीटनाशक की आवश्यकता होती है क्योंकि पहले की अपेक्षा कीड़े, बीमारी, ज्यादा लगती है। लेकिन ब्लॉक से जैविक कीटनाशक आसानी से नहीं मिलते, बाजार में मिलते हैं लेकिन काफी मँहगे, कोई सब्सिडी नहीं।

12. मुझे खेती करना अच्छा लगता है लेकिन अब जंगली जानवरों (विशेषकर सुअर, स्याही, बंदर) आदि का बहुत प्रकोप हो गया है।

प्रयास :

- चिंतन संस्था की मदद से हमने आपस में खेती को लेकर बातचीत करना शुरू किया। समूह बनाये, आगे संगठन भी बनाऐंगे।
- पारम्परिक खेती, बीज, खाद, कीटनाशक की कार्यशालाओं में भी भागीदारी, सीखा और बना रही हूँ।
- जमीन अधिकार, वन पंचायत आदि पर भी कार्यशालाओं द्वारा मुझे बहुत जानकारी मिली है।
- मैं दूसरे क्षेत्रों में जाकर महिलाओं और पुरूषों से पारम्परिक खेती, बीज आदि पर बातचीत करती हूँ। जैसे मुक्तेश्वर क्षेत्र जहाँ पारम्परिक बीज, खेती खत्म होती जा रही है। हमारे समूह की महिलाओं को बहुत खुशी है कि वहाँ (मुक्तेश्वर) के कुछ परिवारों ने अपनी पारम्परिक खेती को वापस लाने के प्रयास शुरू कर दिये हैं, वे अपने बीज भी बचा रहे हैं।
- मैंने अपने क्षेत्र के बीज दूसरे क्षेत्रों में बाँटे हैं और वहाँ के कुछ पारम्परिक बीज अपने यहाँ भी लाई हूँ और यहाँ बाँटे।
- अब हम अपने गाँव में पारम्परिक बीज बैंक मुठिक धन, बनाना शुरू कर दिया है। बीजों को इकट्ठा कर रहे हैं। चिंतन संस्था के माध्यम से हमारे क्षेत्र के बीज दूर–दूर तक पहुँचाऐ हैं।
- मैं वन पंचायत की पंच भी हूँ और हमने अपनी वन पंचायत को भी बचाया है और बनाया है, तभी पारम्परिक खेती सम्भव है।
- मैंने यही बातें एक एक फिल्म के द्वारा भी रखी हैं। बाहर से कुछ लोग आये थेचंतन संस्था के माध्यम से हम पर फिल्म बनाने।
- खेती, बीज जैविक खाद आदि को लेकर हम लोग बीच–बीच में ब्लॉक, जिले के अधिकारियों से भी मिलते रहे हैं और अपनी बात रखते हैं। राज्य, देश के स्तर पर मीटिंग में भी हम लोग चिंतन संस्था के सहयोग से जाते हैं और अपनी बातें रखते हैं, जानकारी लेते हैं।
- कार्यबोझ को कम करने, पानी की बचत करने के लिए जंगल पर बोझ कम करने के लिए आदि हम नई तकनीकों, तरीकों को भी सीख रहे हैं। स्थानीय कारीगर ने चिंतन चूल्हा बनाया है उससे काफी मदद हो जायेगी।

क्या चाहते हैं–

a) सरकार से हम अपनी पारम्परिक खेती को बनाये और मजबूत करने में मदद चाहते हैं।

- हम जैविक खाद बनाना जानते हैं लेकिन सरकार द्वारा ब्लॉक से आसानी से और सब्सिडी के साथ हमें जैविक खाद मिलनी भी चाहिए। इसी तरह से जैविक कीटनाशक पर भी सब्सिडी होनी चाहिए और आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
- सरकार द्वारा जैविक जैविक खाद और जैविक कीटनाशक महिला समूह और महिला फेडरेशन से ही खरीदे जाने चाहिए। इससे उनकी आजीविका में बहुत सहायता मिलेगी।
- महिलाओं का गहरा जुड़ाव जमीन, जंगल जानवर और पानी से है, इसलिए उनके पास काफी ज्ञान और अनुभव है। इस पारम्परिक ज्ञान को और मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न मुद्दों पर कार्यशालाऐं होनी चाहिए जिसमें महिला किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
- ब्लॉक में पारम्परिक बीज की उपलब्धता होनी चाहिए। सरकारी बीज बैंक से बीज लेने की प्रक्रिया आसान होनी होनी चाहिए, विशेषकर महिला किसानों के लिए। इसके बारे में भी हमें जानकारी चाहिए।
- महिला को "महिला किसान" का दर्जा मिलना चाहिए। साथ ही साथ केवल उन्हें ही किसान नहीं माना जाये जिनके पास खाता खतौनी हो।
- जमीन, रिकार्ड में महिला का नाम भी शामिल होना चाहिए। यह हर श्रेणी की महिला के लिए होना चाहिए।
- खेती पर सरकार/शोध संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यशाला/सम्मेलन आदि में कम से कम 50 प्रतिशत किसानों द्वारा भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए।
- पारम्परिक खेती से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं का फायदा महिला किसानों को भी मिलना चाहिए। (खाता खतौनी की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए)
- महिला संगठनों/समूहों को शोध संस्थानों द्वारा बनाये गये औजार, मशीन आदि जो उनके कार्यबोझ को कम कर सके उसकी जानकारी मिलनी चाहिए और सब्सिडी पर यह उनके लिए उपलब्ध होने चाहिए।
- किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना उन किसानों को भी मिलनी चाहिए जिनके पास खाता खतौनी नहीं है।
- जैविक खाद, जैविक कीटनाशक बनाने का कार्य मनरेगा के तहत होना चाहिए, महिला संगठनों के माध्यम से।

1. **Submitting organization :** चिंतन

चिमचिमपानी सुरमाने P.O. Sargakhet, Mukteshwar, District Nainital Uttarakhand

2. Name and contact details of the coordinator :

Dr. Reetu Sogani , ASHA BHARATI (FIELD COORDINATOR)

चिमचिमपानी सुरमाने P.O. Sargakhet, Mukteshwar, District Nainital Uttarakhand

Name of the respondent
Kalawati Devi

तोला गाँव, पंचायत काफलीखान

जिला अल्मोड़ा राज्य उत्तराखण्ड

उम्र – 65

वैवाहिक स्थति – पति की मृत्यु हो चुकी है।

सामाजिक स्थिति – दलित

धर्म – हिंदू

समूह – Lakshmi samuh

संस्था से जुड़ाव : चिंतन